वायु परिवहन करार

भारत सरकार

तथा

संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार

के बीच

भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार (इसके बाद, "पक्षकार" कहा जाएगा);

एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए;

अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के अवसरों के विस्तार को सुगम बनाने की इच्छा रखते हुए;

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के विकास को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए;

एयरलाइंस के लिए यह संभव बनाना कि वे यात्रा और परिवहन करने वाले लोगों को सबसे कम कीमतों पर विभिन्न प्रकार के सेवा विकल्प प्रदान कर सकें जो भेदभावपूर्ण न हों और किसी भी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग न करें, और व्यक्तिगत एयरलाइंस को नवीन और प्रतिस्पर्धी मूल्य विकसित करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना;

अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन में उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की इच्छा रखते हुए और विमानों की सुरक्षा के विरुद्ध कृत्यों या खतरों के बारे में अपनी गंभीर चिंता की पुष्टि करते हुए, जो व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, हवाई परिवहन के संचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं और नागर विमानन की सुरक्षा में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं;

पक्षकारों के इस इरादे को ध्यान में रखते हुए कि उनके बीच दिनांक 15 जनवरी, 2005 को हस्ताक्षरित परामर्श ज्ञापन को इस समझौते के साथ पढ़ा जाए; और

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर सम्मेलन के पक्षकार होने के नाते, जिस पर दिनांक 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर हेतु कार्यवाही शुरू की गई थी;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

परिभाषाएँ

इस करार के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, निम्नलिखित पदों का अर्थ होगा:

1. "वैमानिकी प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, भारत के मामले में, नागर विमानन महानिदेशालय तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति या अभिकरण जो उक्त नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कृत्यों का निष्पादन करने हेतु प्राधिकृत हो, और संयुक्त राज्य के मामले में, परिवहन विभाग अथवा उसका उत्तरवर्ती;

2. "करार" से अभिप्रेत है यह करार, इसके अनुबंध तथा इसमें किए गए कोई भी संशोधन;

3. "वायु परिवहन" से अभिप्रेत है विमान द्वारा यात्रियों, सामान, कार्गो तथा डाक का, पृथक् रूप से अथवा संयोजन में, पारिश्रमिक या भाड़े पर किया जाने वाला सार्वजनिक वहन;

4. "कन्वेंशन" से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर कन्वेंशन, जिसे 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर हेतु खोला गया था, तथा इसमें सम्मिलित है:

    क. ऐसा कोई भी संशोधन जो कन्वेंशन के अनुच्छेद 94(क) के अध्यधीन प्रवृत्त हुआ हो तथा दोनों पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थित किया गया हो, तथा

    ख. कन्वेंशन के अनुच्छेद 90 के अध्यधीन अंगीकृत कोई भी अनुबंध अथवा उसमें किया गया कोई भी संशोधन, जहाँ तक ऐसा अनुबंध या संशोधन किसी भी दिए गए समय पर दोनों पक्षकारों के लिए प्रभावी हो;

5. "अभिहित एयरलाइन" से अभिप्रेत है ऐसी एयरलाइन जो इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार अभिहित तथा प्राधिकृत की गई हो;

6. "पूर्ण लागत" से अभिप्रेत है सेवा प्रदान करने की लागत तथा प्रशासनिक ऊपरी व्यय हेतु युक्तियुक्त प्रभार;

7. "अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन" से अभिप्रेत है ऐसा वायु परिवहन जो एक से अधिक राज्य के राज्यक्षेत्र के ऊपर के वायु-क्षेत्र से होकर गुजरता हो;

8. "कीमत" से अभिप्रेत है वायु परिवहन में एयरलाइनों द्वारा, उनके एजेंटों सहित, यात्रियों (तथा उनके सामान) और/अथवा कार्गो (डाक को छोड़कर) के वहन हेतु प्रभारित कोई भी किराया, दर अथवा प्रभार, तथा ऐसे किराए, दर या प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तें;

9. "गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु ठहराव" से अभिप्रेत है वायु परिवहन में यात्रियों, सामान, कार्गो और/अथवा डाक को चढ़ाने या उतारने से भिन्न किसी प्रयोजन हेतु किया गया अवतरण;

10. "राज्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी पक्षकार की प्रभुसत्ता, अधिकारिता, संरक्षण अथवा न्यासिता के अध्यधीन भूमि क्षेत्र तथा उससे संलग्न राज्यक्षेत्रीय जल; तथा

11. "उपयोगकर्ता प्रभार" से अभिप्रेत है विमानपत्तन, वायु संचालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं या सेवाओं के, जिनमें संबंधित सेवाएँ एवं सुविधाएँ सम्मिलित हैं, प्रावधान हेतु एयरलाइनों पर अधिरोपित प्रभार।

अनुच्छेद 2
अधिकारों का प्रदान

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, उस दूसरे पक्षकार की एयरलाइनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के संचालन हेतु, निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:

   क. उसके राज्यक्षेत्र के ऊपर से बिना उतरे उड़ान भरने का अधिकार;

   ख. उसके राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु ठहराव करने का अधिकार; तथा

   ग. इस करार में अन्यथा विविनिर्दिष्ट अधिकार।

2. इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक पक्षकार की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों को यह अधिकार प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी कि वे दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में, प्रतिफल पर वहन किए जाने वाले तथा उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य स्थान के लिए गंतव्य यात्रियों, उनके सामान, कार्गो अथवा डाक को विमान पर चढ़ा सकें।

अनुच्छेद 3
अभिहितीकरण एवं प्राधिकरण

1. प्रत्येक पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह इस करार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के संचालन हेतु उतनी एयरलाइनें अभिहित करे जितनी वह चाहे, तथा ऐसे अभिहितीकरण को वापस ले या परिवर्तित करे। ऐसे अभिहितीकरण दूसरे पक्षकार को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में प्रेषित किए जाएँगे, तथा उनमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि एयरलाइन अनुबंध 1 अथवा अनुबंध 2 में, या दोनों में, विविनिर्दिष्ट प्रकार के वायु परिवहन के संचालन हेतु प्राधिकृत है अथवा नहीं।

2. ऐसे अभिहितीकरण तथा अभिहित एयरलाइन से प्रचालन प्राधिकरणों एवं तकनीकी अनुज्ञाओं हेतु विहित प्ररूप एवं रीति में आवेदन प्राप्त होने पर, दूसरा पक्षकार न्यूनतम प्रक्रियात्मक विलंब के साथ समुचित प्राधिकरण एवं अनुज्ञाएँ प्रदान करेगा, बशर्ते कि:

   क. उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को अभिहित करने वाले पक्षकार में, उस पक्षकार के नागरिकों में, अथवा दोनों में निहित हो;

   ख. अभिहित एयरलाइन आवेदन या आवेदनों पर विचार करने वाले पक्षकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के प्रचालन पर सामान्यतः लागू विधियों एवं विनियमों के अध्यधीन विहित शर्तों को पूरा करने हेतु अर्हित हो; तथा

   ग. एयरलाइन को अभिहित करने वाला पक्षकार अनुच्छेद 6 (सुरक्षा) तथा अनुच्छेद 7 (विमानन सुरक्षा) में उपबंधित मानकों को बनाए रख रहा हो तथा उनका प्रशासन कर रहा हो।

अनुच्छेद 4
प्राधिकरण का प्रतिसंहरण

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा अभिहित एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकरणों अथवा तकनीकी अनुज्ञाओं का प्रतिसंहरण कर सकता है, उन्हें निलंबित कर सकता है अथवा सीमित कर सकता है, जहाँ:

   क. उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्षकार में, उस पक्षकार के नागरिकों में, अथवा दोनों में निहित न हो;

   ख. उस एयरलाइन ने इस करार के अनुच्छेद 5 (विधियों का अनुप्रयोग) में विनिर्दिष्ट विधियों एवं विनियमों का अनुपालन करने में असफलता की हो; अथवा

   ग. दूसरा पक्षकार अनुच्छेद 6 (सुरक्षा) में उपबंधित मानकों को बनाए न रख रहा हो तथा उनका प्रशासन न कर रहा हो।

2. जब तक कि इस अनुच्छेद के उप-पैराग्राफ 1ख अथवा 1ग के साथ आगे और अननुपालन को रोकने हेतु तत्काल कार्रवाई आवश्यक न हो, इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का प्रयोग दूसरे पक्षकार के साथ परामर्श के पश्चात् ही किया जाएगा।

3. यह अनुच्छेद किसी भी पक्षकार के उन अधिकारों को सीमित नहीं करता जिनके अध्यधीन वह अनुच्छेद 7 (विमानन सुरक्षा) के उपबंधों के अनुसार दूसरे पक्षकार की किसी एयरलाइन या एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकरण अथवा तकनीकी अनुज्ञा को रोक सकता है, प्रतिसंहृत कर सकता है, सीमित कर सकता है अथवा उस पर शर्तें अधिरोपित कर सकता है।

अनुच्छेद 5
विधियों का अनुप्रयोग

1. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते हुए अथवा उससे प्रस्थान करते समय, विमान के प्रचालन एवं संचालन से संबंधित उसकी विधियों एवं विनियमों का अनुपालन दूसरे पक्षकार की एयरलाइनों द्वारा किया जाएगा।

2. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते हुए अथवा उससे प्रस्थान करते समय, उसके राज्यक्षेत्र में विमान पर सवार यात्रियों, चालक दल अथवा कार्गो के प्रवेश या प्रस्थान से संबंधित उसकी विधियों एवं विनियमों का (जिनमें प्रवेश, निकासी, विमानन सुरक्षा, आव्रजन, पासपोर्ट, सीमाशुल्क एवं संगरोध से संबंधित विनियम, अथवा डाक के मामले में डाक विनियम सम्मिलित हैं) अनुपालन दूसरे पक्षकार की एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, चालक दल अथवा कार्गो द्वारा या उनकी ओर से किया जाएगा।

अनुच्छेद 6
सुरक्षा (सेफ्टी)

1. प्रत्येक पक्षकार, इस करार में उपबंधित वायु परिवहन के प्रचालन के प्रयोजन हेतु, दूसरे पक्षकार द्वारा जारी किए गए अथवा वैध किए गए तथा अब भी प्रवृत्त उड़ानयोग्यता प्रमाणपत्रों, सक्षमता प्रमाणपत्रों तथा अनुज्ञप्तियों को वैध के रूप में मान्यता देगा, बशर्ते कि ऐसे प्रमाणपत्रों या अनुज्ञप्तियों हेतु अपेक्षाएँ कम से कम उन न्यूनतम मानकों के समतुल्य हों जो कन्वेंशन के अनुसरण में स्थापित किए जा सकते हैं। तथापि, प्रत्येक पक्षकार अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ान के प्रयोजन हेतु दूसरे पक्षकार द्वारा अपने स्वयं के नागरिकों को प्रदत्त या उनके लिए वैध किए गए सक्षमता प्रमाणपत्रों तथा अनुज्ञप्तियों को वैध के रूप में मान्यता देने से इनकार कर सकता है।

2. कोई भी पक्षकार, किसी भी समय, वैमानिकी सुविधाओं, विमान चालक दल, विमान तथा अभिहित एयरलाइनों के प्रचालन से संबंधित क्षेत्रों में दूसरे पक्षकार द्वारा बनाए गए सुरक्षा मानकों के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। अनुच्छेद 14 (परामर्श) में उपबंधित 60-दिवसीय अवधि के होते हुए भी, इस पैराग्राफ के अध्यधीन परामर्श 30 दिनों के भीतर होंगे, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो। यदि ऐसे परामर्शों के पश्चात् एक पक्षकार यह पाता है कि दूसरा पक्षकार इन क्षेत्रों में ऐसे सुरक्षा मानकों को, जो उस समय कन्वेंशन के अनुसरण में स्थापित मानकों के अनुरूप हों, प्रभावी रूप से बनाए नहीं रखता तथा उनका प्रशासन नहीं करता, तो दूसरे पक्षकार को ऐसे निष्कर्षों की तथा इन मानकों के अनुरूप होने हेतु आवश्यक समझे गए कदमों की सूचना दी जाएगी। तत्पश्चात् दूसरा पक्षकार युक्तियुक्त समय के भीतर समुचित सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

3. अनुच्छेद 4 (प्राधिकरण का प्रतिसंहरण) में उपबंधित अधिकारों के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की किसी एयरलाइन या एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकरण अथवा तकनीकी अनुज्ञाओं को तत्काल निलंबित या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जब उपर्युक्त मानकों एवं अपेक्षाओं को बनाए रखने तथा उनके प्रशासन के कर्तव्य के साथ आगे और अननुपालन को, जिससे उड़ान सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक संकट उत्पन्न होता है, रोकने हेतु अत्यावश्यक कार्रवाई आवश्यक हो।

4. यदि एक पक्षकार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के अध्यधीन कार्रवाई करता है, तो ऐसी कार्रवाई तब बंद कर दी जाएगी जब उस पक्षकार ने यह पुष्टि कर दी हो कि वह आधार, जिस पर वह कार्रवाई की गई थी, समाप्त हो गया है।

5. यदि यह अवधारित किया जाता है कि युक्तियुक्त अवधि व्यतीत हो जाने पर भी एक पक्षकार पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों का अननुपालन करता रहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के महासचिव को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। महासचिव को स्थिति के तत्पश्चात् संतोषजनक समाधान की भी सूचना दी जानी चाहिए।

अनुच्छेद 7

विमानन सुरक्षा (एविएशन सिक्योरिटी)

1. अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्यधीन अपने अधिकारों एवं बाध्यताओं के अनुसार, पक्षकार पुनः पुष्टि करते हैं कि विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा करने की एक-दूसरे के प्रति उनकी बाध्यता इस करार का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्यधीन अपने अधिकारों एवं बाध्यताओं की व्यापकता को सीमित किए बिना, पक्षकार विशेष रूप से विमान पर किए गए अपराधों तथा कतिपय अन्य कृत्यों पर कन्वेंशन, जो 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में किया गया; विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण के दमन हेतु कन्वेंशन, जो 16 दिसंबर, 1970 को हेग में किया गया; नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कृत्यों के दमन हेतु कन्वेंशन, जो 23 सितंबर, 1971 को मॉन्ट्रियल में किया गया; तथा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन की सेवा करने वाले विमानपत्तनों पर हिंसा के विधिविरुद्ध कृत्यों के दमन हेतु प्रोटोकॉल, जो 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में किया गया, के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. पक्षकार अनुरोध किए जाने पर नागर विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण के कृत्यों तथा ऐसे विमान, उनके यात्रियों एवं चालक दल, तथा विमानपत्तनों एवं वायु संचालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य विधिविरुद्ध कृत्यों को रोकने हेतु एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, तथा नागर वायु संचालन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य संकट का समाधान करेंगे।

3. पक्षकार, अपने पारस्परिक संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित तथा कन्वेंशन के अनुबंधों के रूप में अभिहित विमानन सुरक्षा मानकों एवं समुचित अनुशंसित प्रथाओं के अनुरूप कार्य करेंगे; वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके रजिस्टर के विमानों के प्रचालक, ऐसे विमानों के प्रचालक जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल अथवा स्थायी निवास उनके राज्यक्षेत्र में है, तथा उनके राज्यक्षेत्र में विमानपत्तनों के प्रचालक ऐसे विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश हेतु, उससे प्रस्थान हेतु तथा उस राज्यक्षेत्र के भीतर रहते हुए, उस दूसरे पक्षकार द्वारा अपेक्षित सुरक्षा उपबंधों का पालन करने तथा विमान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय करने एवं यात्रियों, चालक दल तथा उनके सामान एवं हस्तगत वस्तुओं, साथ ही कार्गो एवं विमान भंडारों का, विमान पर चढ़ने या लादने से पूर्व तथा उसके दौरान निरीक्षण करने पर सहमत होता है। प्रत्येक पक्षकार किसी विशेष संकट का सामना करने हेतु विशेष सुरक्षा उपायों के लिए दूसरे पक्षकार के किसी भी अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण अथवा यात्रियों, चालक दल, विमान, विमानपत्तनों या वायु संचालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य विधिविरुद्ध कृत्यों की कोई घटना या घटना का संकट उत्पन्न होता है, तो पक्षकार संचार को सुकर बनाकर तथा ऐसी घटना या संकट को शीघ्रता एवं सुरक्षित रूप से समाप्त करने के लिए अभिप्रेत अन्य समुचित उपायों द्वारा एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब किसी पक्षकार के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि दूसरे पक्षकार ने इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा उपबंधों से विचलन किया है, तो उस पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तत्काल परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध की तिथि से 15 दिनों के भीतर संतोषजनक सहमति पर पहुँचने में असफलता उस पक्षकार की किसी एयरलाइन या एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकरण एवं तकनीकी अनुज्ञाओं को रोकने, प्रतिसंहृत करने, सीमित करने अथवा उन पर शर्तें अधिरोपित करने के आधार गठित करेगी। किसी आपात स्थिति द्वारा अपेक्षित होने पर, कोई पक्षकार 15 दिनों की समाप्ति से पूर्व अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

अनुच्छेद 8
वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइनों को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में वायु परिवहन के संवर्धन एवं विक्रय हेतु कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की अभिहित एयरलाइनें, प्रवेश, निवास तथा नियोजन से संबंधित दूसरे पक्षकार की विधियों एवं विनियमों के अनुसार, वायु परिवहन के प्रावधान हेतु अपेक्षित प्रबंधकीय, विक्रय, तकनीकी, प्रचालनात्मक तथा अन्य विशेषज्ञ कर्मचारियों को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लाने तथा वहाँ बनाए रखने की हकदार होंगी।

3. प्रत्येक अभिहित एयरलाइन को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में अपना स्वयं का ग्राउंड-हैंडलिंग करने का ("स्व-हैंडलिंग") अधिकार होगा, अथवा अपने विकल्प पर, ऐसी सेवाओं हेतु पूर्णतः या अंशतः प्रतिस्पर्धी एजेंटों में से चयन करने का अधिकार होगा। ये अधिकार केवल विमानपत्तन सुरक्षा संबंधी विचारों से उद्भूत भौतिक बाधाओं के अध्यधीन होंगे। जहाँ ऐसे विचार स्व-हैंडलिंग को अवरुद्ध करते हैं, वहाँ ग्राउंड सेवाएँ सभी एयरलाइनों को समान आधार पर उपलब्ध होंगी; प्रभार प्रदान की गई सेवाओं की लागत पर आधारित होंगे; तथा ऐसी सेवाएँ उस प्रकार एवं गुणवत्ता की होंगी जैसी स्व-हैंडलिंग संभव होने पर होतीं।

4. प्रत्येक पक्षकार की कोई भी एयरलाइन दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में वायु परिवहन के विक्रय में प्रत्यक्ष रूप से तथा एयरलाइन के विवेकानुसार अपने एजेंटों के माध्यम से संलग्न हो सकती है, सिवाय जैसा कि उस देश के चार्टर विनियमों द्वारा, जिसमें चार्टर उद्भूत होता है, यात्री निधियों के संरक्षण तथा यात्री द्वारा रद्दीकरण एवं प्रतिदाय अधिकारों के संबंध में विशेष रूप से उपबंधित हो। प्रत्येक एयरलाइन को ऐसे परिवहन का विक्रय करने का अधिकार होगा, तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे परिवहन को उस राज्यक्षेत्र की मुद्रा में अथवा स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5. प्रत्येक एयरलाइन को यह अधिकार होगा कि वह स्थानीय रूप से संवितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्व को माँग पर परिवर्तित कर अपने देश को विप्रेषित करे। परिवर्तन एवं विप्रेषण उस विनिमय दर पर, जो वाहक द्वारा विप्रेषण हेतु प्रारंभिक आवेदन किए जाने की तिथि को चालू संव्यवहारों एवं विप्रेषण पर लागू हो, बिना किसी निर्बंधन अथवा उस पर कराधान के तत्परता से अनुज्ञात किया जाएगा।

6. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइनों को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ईंधन के क्रय सहित स्थानीय व्ययों का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने की अनुमति होगी। अपने विवेकानुसार, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइनें दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ऐसे व्ययों का भुगतान स्थानीय मुद्रा विनियम के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में कर सकती हैं।

7. सहमत मार्गों पर प्राधिकृत सेवाओं का प्रचालन करते समय अथवा उन्हें प्रस्तुत करते समय, एक पक्षकार की कोई भी अभिहित एयरलाइन ब्लॉक्ड-स्पेस, कोड-शेयरिंग अथवा पट्टा व्यवस्थाओं जैसी सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में निम्नलिखित के साथ प्रवेश कर सकती है:

   क) किसी भी पक्षकार की एयरलाइन या एयरलाइनें;

   ख) किसी तीसरे देश की एयरलाइन या एयरलाइनें; तथा

   ग) किसी भी देश का पृष्ठीय (सरफेस) परिवहन प्रदाता;

बशर्ते कि ऐसी व्यवस्थाओं के सभी सहभागी (i) समुचित प्राधिकार धारण करते हों तथा (ii) ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

8. इस करार के किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, दोनों पक्षकारों की एयरलाइनों तथा कार्गो परिवहन के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं को यह अनुमति होगी कि वे, बिना किसी निर्बंधन के, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के संबंध में पक्षकारों के राज्यक्षेत्रों अथवा तीसरे देशों में किसी भी स्थान को या उससे कार्गो हेतु किसी भी पृष्ठीय परिवहन का उपयोग करें, जिसमें सीमाशुल्क सुविधाओं वाले सभी विमानपत्तनों को तथा उनसे परिवहन सम्मिलित है, और जिसमें, जहाँ लागू हो, लागू विधियों एवं विनियमों के अध्यधीन कार्गो को बॉण्ड में परिवहन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। ऐसे कार्गो को, चाहे वह पृष्ठीय मार्ग से चल रहा हो या वायु मार्ग से, विमानपत्तन सीमाशुल्क प्रसंस्करण एवं सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त होगी। एयरलाइनें अपना स्वयं का पृष्ठीय परिवहन करने अथवा अन्य पृष्ठीय वाहकों के साथ व्यवस्थाओं के माध्यम से उसे उपलब्ध कराने का विकल्प चुन सकती हैं, जिसमें अन्य एयरलाइनों तथा कार्गो वायु परिवहन के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं द्वारा प्रचालित पृष्ठीय परिवहन सम्मिलित है। ऐसी अंतर्मोडल कार्गो सेवाएँ वायु एवं पृष्ठीय परिवहन को मिलाकर एकल, थ्रू कीमत पर प्रस्तुत की जा सकती हैं, बशर्ते कि प्रेषकों को ऐसे परिवहन से संबंधित तथ्यों के बारे में भ्रमित न किया जाए।

अनुच्छेद 9

सीमाशुल्क एवं प्रभार

1. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में आगमन पर, दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में प्रचालित विमान, उनके नियमित उपकरण, ग्राउंड उपकरण, ईंधन, स्नेहक, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियाँ, इंजनों सहित कल-पुर्जे, विमान भंडार (जिनमें खाद्य पदार्थ, पेय एवं मदिरा, तंबाकू तथा अन्य उत्पाद सम्मिलित हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, जो उड़ान के दौरान सीमित मात्रा में यात्रियों को विक्रय हेतु या उनके उपयोग हेतु अभिप्रेत हों), तथा अन्य वस्तुएँ जो केवल अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में लगे विमान के प्रचालन या सर्विसिंग के संबंध में अभिप्रेत हों या उपयोग की जाती हों, पारस्परिकता के आधार पर, सभी आयात निर्बंधनों, संपत्ति करों एवं पूँजी उद्ग्रहणों, सीमाशुल्कों, उत्पाद शुल्कों तथा ऐसी समान फीसों एवं प्रभारों से छूट प्राप्त होंगी जो (क) राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित हों, तथा (ख) प्रदान की गई सेवाओं की लागत पर आधारित न हों, बशर्ते कि ऐसे उपकरण एवं आपूर्तियाँ विमान पर ही बनी रहें।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट करों, उद्ग्रहणों, शुल्कों, फीसों एवं प्रभारों से, प्रदान की गई सेवा की लागत पर आधारित प्रभारों को छोड़कर, पारस्परिकता के आधार पर निम्नलिखित को भी छूट प्राप्त होगी:

   क. ऐसे विमान भंडार जो किसी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लाए गए या वहाँ प्रदाय किए गए हों तथा युक्तियुक्त सीमाओं के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में लगी दूसरे पक्षकार की एयरलाइन के बहिर्गामी विमान पर उपयोग हेतु विमान में चढ़ाए गए हों, भले ही ये भंडार यात्रा के उस भाग पर उपयोग किए जाने हों जो उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर पूरा किया जाता है जिसमें वे विमान पर चढ़ाए गए हैं;

   ख. ऐसे ग्राउंड उपकरण तथा इंजनों सहित कल-पुर्जे जो किसी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में प्रयुक्त दूसरे पक्षकार की एयरलाइन के विमान की सर्विसिंग, अनुरक्षण अथवा मरम्मत हेतु लाए गए हों;

   ग. ऐसे ईंधन, स्नेहक तथा उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियाँ जो किसी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में लगी दूसरे पक्षकार की एयरलाइन के विमान में उपयोग हेतु लाई गई या वहाँ प्रदाय की गई हों, भले ही ये आपूर्तियाँ यात्रा के उस भाग पर उपयोग की जानी हों जो उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर पूरा किया जाता है जिसमें वे विमान पर चढ़ाई गई हैं; तथा

   घ. ऐसी प्रचार एवं विज्ञापन सामग्री जो एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लाई गई या वहाँ प्रदाय की गई हो तथा युक्तियुक्त सीमाओं के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में लगी दूसरे पक्षकार की एयरलाइन के बहिर्गामी विमान पर उपयोग हेतु विमान में चढ़ाई गई हो, भले ही ये भंडार यात्रा के उस भाग पर उपयोग किए जाने हों जो उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर पूरा किया जाता है जिसमें वे विमान पर चढ़ाए गए हैं।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 में विनिर्दिष्ट उपकरण एवं आपूर्तियों के बारे में यह अपेक्षा की जा सकती है कि उन्हें समुचित प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण या नियंत्रण में रखा जाए।

4. इस अनुच्छेद द्वारा उपबंधित छूट उस दशा में भी उपलब्ध होगी जहाँ एक पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों ने किसी अन्य एयरलाइन के साथ, जो दूसरे पक्षकार से इसी प्रकार की छूट प्राप्त करती है, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 में विविनिर्दिष्ट वस्तुओं के दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में उधार अथवा अंतरण हेतु संविदा की हो।

अनुच्छेद 10

उपयोगकर्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार के सक्षम प्रभारक प्राधिकारियों या निकायों द्वारा दूसरे पक्षकार की एयरलाइनों पर अधिरोपित किए जा सकने वाले उपयोगकर्ता प्रभार न्यायसंगत, युक्तियुक्त, अन्यायपूर्ण रूप से विभेदकारी नहीं, तथा उपयोगकर्ताओं की श्रेणियों के बीच साम्यापूर्ण रूप से आबंटित होंगे। किसी भी दशा में, ऐसे कोई भी उपयोगकर्ता प्रभार दूसरे पक्षकार की एयरलाइनों पर ऐसी शर्तों पर निर्धारित किए जाएँगे जो उन सर्वाधिक अनुकूल शर्तों से कम अनुकूल न हों जो प्रभारों के निर्धारण के समय किसी अन्य एयरलाइन को उपलब्ध हों।

2. दूसरे पक्षकार की एयरलाइनों पर अधिरोपित उपयोगकर्ता प्रभार सक्षम प्रभारक प्राधिकारियों या निकायों द्वारा समुचित विमानपत्तन, विमानपत्तन पर्यावरणीय, वायु संचालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं एवं सेवाओं को विमानपत्तन पर अथवा विमानपत्तन प्रणाली के भीतर उपलब्ध कराने की पूर्ण लागत को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, किंतु उससे अधिक नहीं होंगे। ऐसे प्रभारों में मूल्यह्रास के पश्चात् आस्तियों पर युक्तियुक्त प्रतिफल सम्मिलित हो सकता है। जिन सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं, वे दक्ष एवं मितव्ययी आधार पर उपलब्ध कराई जाएँगी।

3. प्रत्येक पक्षकार अपने राज्यक्षेत्र में सक्षम प्रभारक प्राधिकारियों या निकायों तथा सेवाओं एवं सुविधाओं का उपयोग करने वाली एयरलाइनों के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा, तथा सक्षम प्रभारक प्राधिकारियों या निकायों एवं एयरलाइनों को ऐसी सूचना के आदान-प्रदान हेतु प्रोत्साहित करेगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 के सिद्धांतों के अनुसार प्रभारों की युक्तियुक्तता की सटीक समीक्षा को संभव बनाने हेतु आवश्यक हो। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभारक प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करेगा कि वे उपयोगकर्ता प्रभारों में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव की युक्तियुक्त सूचना उपयोगकर्ताओं को दें, ताकि परिवर्तन किए जाने से पूर्व उपयोगकर्ता अपने विचार व्यक्त कर सकें।

4. किसी भी पक्षकार को अनुच्छेद 15 के अनुसरण में विवाद समाधान प्रक्रियाओं में इस अनुच्छेद के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा, जब तक कि (क) वह दूसरे पक्षकार द्वारा की गई शिकायत के विषय वाले प्रभार अथवा प्रथा की समीक्षा युक्तियुक्त समय के भीतर करने में असफल न रहे; अथवा (ख) ऐसी समीक्षा के पश्चात् वह इस अनुच्छेद के

साथ असंगत किसी भी प्रभार अथवा प्रथा के निवारण हेतु अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाने में असफल न रहे।

अनुच्छेद 11
उचित प्रतिस्पर्धा

1. प्रत्येक पक्षकार दोनों पक्षकारों की अभिहित एयरलाइनों को इस करार द्वारा शासित अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन उपलब्ध कराने में प्रतिस्पर्धा करने हेतु उचित एवं समान अवसर की अनुमति देगा।

2. प्रत्येक पक्षकार प्रत्येक अभिहित एयरलाइन को यह अनुमति देगा कि वह बाज़ार में वाणिज्यिक विचारों के आधार पर अपने द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की आवृत्ति एवं क्षमता अवधारित करे। इस अधिकार के अनुरूप, कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित यातायात की मात्रा, सेवा की आवृत्ति या नियमितता, अथवा विमान के प्रकार या प्रकारों को एकपक्षीय रूप से सीमित नहीं करेगा, सिवाय जैसा कि कन्वेंशन के अनुच्छेद 15 के अनुरूप एकसमान शर्तों के अध्यधीन सीमाशुल्क, तकनीकी, प्रचालनात्मक अथवा पर्यावरणीय कारणों से अपेक्षित हो।

3. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों पर प्रथम-इनकार (first-refusal) अपेक्षा, अपलिफ्ट अनुपात, अनापत्ति शुल्क, अथवा क्षमता, आवृत्ति या यातायात के संबंध में ऐसी कोई अन्य अपेक्षा अधिरोपित नहीं करेगा जो इस करार के प्रयोजनों के साथ असंगत हो।

4. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की एयरलाइनों द्वारा समय-सारणियों, चार्टर उड़ानों हेतु कार्यक्रमों, अथवा प्रचालनात्मक योजनाओं को अनुमोदन हेतु फाइल किए जाने की अपेक्षा नहीं करेगा, सिवाय जैसा कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 द्वारा पूर्वदृष्ट एकसमान शर्तों को प्रवर्तित करने हेतु गैर-विभेदकारी आधार पर अपेक्षित हो, अथवा जैसा कि इस करार के किसी अनुबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत हो। यदि कोई पक्षकार सूचना के प्रयोजनों हेतु फाइलिंग की अपेक्षा करता है, तो वह वायु परिवहन मध्यवर्तियों तथा दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों पर फाइलिंग अपेक्षाओं एवं प्रक्रियाओं के प्रशासनिक भार को न्यूनतम करेगा।

अनुच्छेद 12
कीमत-निर्धारण

1. प्रत्येक पक्षकार वायु परिवहन हेतु कीमतों को प्रत्येक अभिहित एयरलाइन द्वारा बाज़ार में वाणिज्यिक विचारों के आधार पर स्थापित किए जाने की अनुमति देगा। पक्षकारों द्वारा हस्तक्षेप निम्नलिखित तक सीमित रहेगा:

   क. अयुक्तियुक्त रूप से विभेदकारी कीमतों अथवा प्रथाओं का निवारण;

ख. उपभोक्ताओं को ऐसी कीमतों से संरक्षण जो प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग के कारण अयुक्तियुक्त रूप से उच्च या निर्बंधनकारी हों; तथा

ग. एयरलाइनों को ऐसी कीमतों से संरक्षण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकारी सहायिकी अथवा समर्थन के कारण कृत्रिम रूप से निम्न हों।

2. पक्षकारों के राज्यक्षेत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन हेतु कीमतों को फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा। पूर्वगामी के होते हुए भी, पक्षकारों की अभिहित एयरलाइनें, अनुरोध किए जाने पर, पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐतिहासिक, विद्यमान तथा प्रस्तावित कीमतों की सूचना तक तत्काल पहुँच, ऐसी रीति एवं प्ररूप में जो उन वैमानिकी प्राधिकारियों को स्वीकार्य हो, उपलब्ध कराती रहेंगी।

3. कोई भी पक्षकार ऐसी कीमत के प्रारंभ या निरंतरता को रोकने हेतु एकपक्षीय कार्रवाई नहीं करेगा जिसे (i) किसी भी पक्षकार की अभिहित एयरलाइन द्वारा पक्षकारों के राज्यक्षेत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन हेतु, अथवा (ii) एक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन द्वारा दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र तथा किसी अन्य देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन हेतु प्रभारित करने का प्रस्ताव किया गया हो या प्रभारित किया गया हो, जिसमें दोनों ही दशाओं में इंटरलाइन अथवा इंट्रालाइन आधार पर परिवहन सम्मिलित है। यदि किसी भी पक्षकार का यह विश्वास हो कि ऐसी कोई कीमत इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उपबंधित विचारों के साथ असंगत है, तो वह परामर्श का अनुरोध करेगा तथा दूसरे पक्षकार को अपने असंतोष के कारणों की सूचना यथाशीघ्र देगा। ये परामर्श अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के पश्चात् से अनधिक समय में आयोजित किए जाएँगे, तथा पक्षकार मुद्दे के तर्कसंगत समाधान हेतु आवश्यक सूचना प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। यदि पक्षकार ऐसी कीमत के संबंध में, जिसके विषय में असंतोष की सूचना दी गई है, किसी सहमति पर पहुँचते हैं, तो प्रत्येक पक्षकार उस सहमति को प्रभावी बनाने हेतु अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा। ऐसी पारस्परिक सहमति के अभाव में, कीमत प्रभावी हो जाएगी अथवा प्रभावी बनी रहेगी।

अनुच्छेद 13
संशोधन

1. इस करार को पक्षकारों के लिखित करार द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

2. यदि इस करार के प्रवृत्त होने के पश्चात् दोनों पक्षकार किसी ऐसे बहुपक्षीय करार के पक्षकार बनते हैं जो इस करार द्वारा आच्छादित विषयों को संबोधित करता है, तो कोई भी पक्षकार यह अवधारित करने हेतु परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि क्या उस बहुपक्षीय करार को ध्यान में रखते हुए इस करार को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 14
परामर्श

कोई भी पक्षकार, किसी भी समय, इस करार से संबंधित परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श यथासंभव शीघ्रतम तिथि को प्रारंभ होंगे, किंतु उस तिथि से 60 दिनों के पश्चात् नहीं जिस तिथि को दूसरे पक्षकार को अनुरोध प्राप्त होता है, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो।

अनुच्छेद 15

विवादों का निपटारा

1. इस करार के अध्यधीन उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, उन विवादों को छोड़कर जो अनुच्छेद 12 (कीमत-निर्धारण) के पैराग्राफ 3 के अध्यधीन उत्पन्न हो सकते हैं, जो औपचारिक परामर्शों के प्रथम चक्र द्वारा हल नहीं होता, पक्षकारों की सहमति से किसी व्यक्ति या निकाय को विनिश्चय हेतु विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। यदि पक्षकार ऐसी सहमति नहीं देते, तो विवाद, किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, नीचे उपबंधित प्रक्रियाओं के अनुसार माध्यस्थम् को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. माध्यस्थम् तीन मध्यस्थों के अधिकरण द्वारा किया जाएगा, जो निम्नानुसार गठित किया जाएगा:

   क. माध्यस्थम् हेतु अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नामविनिर्दिष्ट करेगा। इन दोनों मध्यस्थों के नामविनिर्दिष्ट होने के 60 दिनों के भीतर, वे सहमति द्वारा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो मध्यस्थ अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;

   ख. यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ नामविनिर्दिष्ट करने में असफल रहता है, अथवा यदि तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ क के अनुसार नहीं की जाती, तो कोई भी पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद् के अध्यक्ष से 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद् का अध्यक्ष पक्षकारों में से किसी एक की ही राष्ट्रीयता का हो, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष, जो उस आधार पर निरर्हित न हो, नियुक्ति करेगा। इस पैराग्राफ के अध्यधीन अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम अर्हित उपाध्यक्ष द्वारा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की दशा में, वह तीसरा मध्यस्थ किसी भी पक्षकार का नागरिक नहीं होगा।

3. जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, मध्यस्थ अधिकरण इस करार के अनुसार अपनी अधिकारिता की सीमाएँ अवधारित करेगा तथा अपने स्वयं के प्रक्रियात्मक नियम स्थापित करेगा। अधिकरण, एक बार गठित हो जाने पर, अपने अंतिम निर्धारण तक अंतरिम अनुतोष उपायों की अनुशंसा कर सकता है। अधिकरण के निदेश पर अथवा किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, माध्यस्थम् किए जाने वाले यथार्थ मुद्दों तथा अनुसरण की जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं को अवधारित करने हेतु एक सम्मेलन अधिकरण के पूर्णतः गठित होने के 15 दिनों के पश्चात् से अनधिक समय में आयोजित किया जाएगा।

4. जब तक कि अन्यथा सहमति न हो अथवा अधिकरण द्वारा निदेशित न किया जाए, प्रत्येक पक्षकार अधिकरण के पूर्णतः गठित होने के समय से 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिन पश्चात् देय होंगे। अधिकरण किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तर देय होने के 15 दिनों के भीतर सुनवाई करेगा।

5. अधिकरण सुनवाई की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हो, तो दोनों उत्तर प्रस्तुत किए जाने की तिथि के पश्चात् 30 दिनों के भीतर लिखित विनिश्चय देने का प्रयास करेगा। अधिकरण के बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

6. पक्षकार विनिश्चय दिए जाने के 15 दिनों के भीतर उसके स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

7. प्रत्येक पक्षकार, अपनी राष्ट्रीय विधि के अनुरूप सीमा तक, मध्यस्थ अधिकरण के किसी भी विनिश्चय अथवा पंचाट को पूर्ण प्रभाव देगा।

8. मध्यस्थ अधिकरण के व्यय, जिनमें मध्यस्थों की फीस एवं व्यय सम्मिलित हैं, पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएँगे। इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2ख की प्रक्रियाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उपगत कोई भी व्यय मध्यस्थ अधिकरण के व्ययों का भाग माना जाएगा।

अनुच्छेद 16
समाप्ति

कोई भी पक्षकार, किसी भी समय, दूसरे पक्षकार को इस करार को समाप्त करने के अपने विनिश्चय की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना साथ-ही-साथ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजी जाएगी। यह करार, दूसरे पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त करने की तिथि की प्रथम वर्षगाँठ से ठीक पूर्व मध्यरात्रि को (दूसरे पक्षकार को सूचना की प्राप्ति के स्थान पर) समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व पक्षकारों की सहमति से सूचना वापस न ले ली जाए।

अनुच्छेद 17
आईसीएओ (ICAO) के पास पंजीकरण

यह करार तथा इसमें किए गए सभी संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत किए जाएँगे।

अनुच्छेद 18
प्रवृत्त होना

यह करार तथा इसके अनुबंध पक्षकारों के बीच राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान में बाद वाले नोट की तिथि को प्रवृत्त होंगे, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्रत्येक पक्षकार ने इस करार तथा इसके अनुबंधों के प्रवृत्त होने हेतु आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएँ पूरी कर ली हैं।

प्रवृत्त होने पर, यह करार भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच 3 फरवरी, 1956 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित वायु परिवहन करार का, जैसा कि वह नई दिल्ली में 26 अक्तूबर, 1964 को नोटों के आदान-प्रदान द्वारा किए गए करार तथा नई दिल्ली में 4 मई, 1989 को नोटों के आदान-प्रदान द्वारा किए गए करार द्वारा संशोधित है, अधिक्रमण करेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत होकर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

निष्पादित दिल्ली में, इस 14वें दिन अप्रैल, 2005 को, दो प्रतियों में, अंग्रेज़ी भाषा में, जो प्रामाणिक पाठ होगा। इस करार का हिंदी भाषा में अनुवाद तैयार किया जाएगा, जो उस समय समान रूप से प्रामाणिक माना जाएगा जब राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा उस पर सहमति हो जाए, जिसमें अंग्रेज़ी भाषा के पाठ के साथ उसकी अनुरूपता की पुष्टि की गई हो।

भारत सरकार की ओर से:

संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की ओर से:

<u>अनुबंध 1</u>

अनुसूचित वायु परिवहन

<u>खंड 1</u>

मार्ग

इस अनुबंध के अध्यधीन अभिहित प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइनें, अपने अभिहितीकरण की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित मार्गों पर स्थानों के बीच अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन करने की हकदार होंगी:

क. संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा अभिहित एयरलाइन या एयरलाइनों के लिए मार्ग:

1. संयुक्त राज्य के पीछे के स्थानों से, संयुक्त राज्य तथा मध्यवर्ती स्थानों के माध्यम से, भारत में किसी एक या अनेक स्थानों तक तथा उससे आगे।

2. पूर्ण-कार्गो सेवा या सेवाओं हेतु, भारत तथा किसी एक या अनेक स्थानों के बीच।

ख. भारत सरकार द्वारा अभिहित एयरलाइन या एयरलाइनों के लिए मार्ग:

1. भारत के पीछे के स्थानों से, भारत तथा मध्यवर्ती स्थानों के माध्यम से, संयुक्त राज्य में किसी एक या अनेक स्थानों तक तथा उससे आगे।

2. पूर्ण-कार्गो सेवा या सेवाओं हेतु, संयुक्त राज्य तथा किसी एक या अनेक स्थानों के बीच।

<u>खंड 2</u>

प्रचालनात्मक लचीलापन

प्रत्येक अभिहित एयरलाइन, किसी भी अथवा सभी उड़ानों पर तथा अपने विकल्प पर:

1. किसी एक अथवा दोनों दिशाओं में उड़ानें प्रचालित कर सकती है;

2. एक ही विमान प्रचालन के भीतर भिन्न-भिन्न उड़ान संख्याओं का संयोजन कर सकती है;

3. मार्गों पर पीछे के, मध्यवर्ती तथा उससे आगे के स्थानों को और पक्षकारों के राज्यक्षेत्रों में स्थानों को किसी भी संयोजन में तथा किसी भी क्रम में सेवित कर सकती है;

4. किसी एक या अनेक स्थानों पर ठहराव छोड़ सकती है;

5. मार्गों पर किसी भी स्थान पर अपने किसी भी विमान से अपने किसी अन्य विमान में यातायात अंतरित कर सकती है; तथा

6. अपने राज्यक्षेत्र में किसी भी स्थान के पीछे के स्थानों को, विमान अथवा उड़ान संख्या के परिवर्तन के साथ या बिना, सेवित कर सकती है तथा ऐसी सेवाओं को जनता के समक्ष थ्रू सेवाओं के रूप में प्रस्तुत एवं विज्ञापित कर सकती है;

यह सब बिना किसी दिशात्मक या भौगोलिक परिसीमा के तथा इस करार के अध्यधीन अन्यथा अनुज्ञेय यातायात के वहन के किसी भी अधिकार की हानि के बिना; बशर्ते कि, पूर्ण-कार्गो सेवाओं को छोड़कर, सेवा एयरलाइन को अभिहित करने वाले पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी स्थान को सेवित करे।

खंड 3

गेज का परिवर्तन

उपर्युक्त मार्गों के किसी एक या अनेक खंडों पर, कोई भी अभिहित एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन कर सकती है, बिना मार्ग पर किसी भी स्थान पर प्रचालित विमान के प्रकार या संख्या में परिवर्तन के संबंध में किसी परिसीमा के; बशर्ते कि, पूर्ण-कार्गो सेवाओं को छोड़कर, बहिर्गामी दिशा में, ऐसे स्थान से आगे का परिवहन उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र से किए गए परिवहन की निरंतरता हो जिसने एयरलाइन को अभिहित किया है, तथा अंतर्गामी दिशा में, एयरलाइन को अभिहित करने वाले पक्षकार के राज्यक्षेत्र को किया गया परिवहन ऐसे स्थान से आगे से किए गए परिवहन की निरंतरता हो।

अनुबंध 2

चार्टर वायु परिवहन

खंड 1

क. इस अनुबंध के अध्यधीन अभिहित प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइनों को, अपने अभिहितीकरण की शर्तों के अनुसार, यात्रियों (तथा उनके साथ के सामान) और/अथवा कार्गो के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर यातायात (जिसमें फ्रेट फॉरवर्डर, स्प्लिट तथा संयोजन (यात्री/कार्गो) चार्टर सम्मिलित हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) के वहन का अधिकार होगा:

1. एयरलाइन को अभिहित करने वाले पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी एक या अनेक स्थानों तथा दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी एक या अनेक स्थानों के बीच; तथा

2. दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी एक या अनेक स्थानों तथा किसी एक या अनेक तीसरे देशों में किसी एक या अनेक स्थानों के बीच, बशर्ते कि, कार्गो चार्टरों के संबंध को छोड़कर, ऐसी सेवा किसी सतत प्रचालन का भाग गठित करती हो, विमान के परिवर्तन के साथ या बिना, जिसमें स्वदेश तथा दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के बीच स्थानीय यातायात के वहन के प्रयोजन हेतु स्वदेश की सेवा सम्मिलित हो।

ख. इस अनुबंध द्वारा आच्छादित सेवाओं के निष्पादन में, इस अनुबंध के अध्यधीन अभिहित प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइनों को यह अधिकार भी होगा: (1) किसी भी स्थान पर ठहराव (स्टॉपओवर) करना, चाहे वह किसी भी पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर हो या बाहर; (2) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र से होकर पारगमन यातायात का वहन करना; (3) एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में उद्भूत यातायात, दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में उद्भूत यातायात तथा तीसरे देशों में उद्भूत यातायात को एक ही विमान पर संयोजित करना; तथा (4) अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन करना, बिना मार्ग पर किसी भी स्थान पर प्रचालित विमान के प्रकार या संख्या में परिवर्तन के संबंध में किसी परिसीमा के; बशर्ते कि, कार्गो चार्टरों के संबंध को छोड़कर, बहिर्गामी दिशा में, ऐसे स्थान से आगे का परिवहन उस पक्षकार के राज्यक्षेत्र से किए गए परिवहन की निरंतरता हो जिसने एयरलाइन को अभिहित किया है, तथा अंतर्गामी दिशा में, एयरलाइन को अभिहित करने वाले पक्षकार के राज्यक्षेत्र को किया गया परिवहन ऐसे स्थान से आगे से किए गए परिवहन की निरंतरता हो।

ग. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की एयरलाइनों द्वारा ऐसे यातायात के वहन हेतु, जो इस अनुबंध द्वारा आच्छादित नहीं है, किए गए आवेदनों पर सौजन्य एवं पारस्परिकता के आधार पर अनुकूल विचार करेगा।

खंड 2

क. किसी भी पक्षकार द्वारा अभिहित ऐसी कोई भी एयरलाइन जो किसी भी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में उद्भूत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन चार्टर करती है, चाहे वह एकतरफा आधार पर हो या आने-जाने के आधार पर, उसे अपने स्वदेश अथवा दूसरे पक्षकार, किसी की भी चार्टर

विधियों, विनियमों एवं नियमों का अनुपालन करने का विकल्प होगा। यदि कोई पक्षकार अपनी एक या अधिक एयरलाइनों पर, अथवा भिन्न-भिन्न देशों की एयरलाइनों पर भिन्न-भिन्न नियम, विनियम, निबंधन, शर्तें अथवा परिसीमाएँ लागू करता है, तो प्रत्येक अभिहित एयरलाइन ऐसे मानदंडों में से न्यूनतम निर्बंधनकारी मानदंड के अध्यधीन होगी।

ख. तथापि, उपर्युक्त पैराग्राफ में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी भी पक्षकार के उस अधिकार को सीमित नहीं करेगी कि वह किसी भी पक्षकार द्वारा इस अनुबंध के अध्यधीन अभिहित एयरलाइनों से यह अपेक्षा करे कि वे यात्री निधियों के संरक्षण तथा यात्री द्वारा रद्दीकरण एवं प्रतिदाय अधिकारों से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करें।

खंड 3

पूर्ववर्ती पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट उपभोक्ता संरक्षण नियमों के संबंध को छोड़कर, कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा इस अनुबंध के अध्यधीन अभिहित एयरलाइन से, उस दूसरे पक्षकार के अथवा किसी तीसरे देश के राज्यक्षेत्र से एकतरफा या आने-जाने के आधार पर यातायात के वहन के संबंध में, इस अनुबंध के खंड 2 के अध्यधीन विनिर्दिष्ट लागू विधियों, विनियमों एवं नियमों के साथ अनुरूपता की घोषणा से, अथवा लागू वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा इन विधियों, विनियमों या नियमों से दी गई छूट से अधिक कुछ प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा।

<u>अनुबंध 3</u>

संक्रमणकालीन उपबंध

<u>खंड 1</u>

ग्राउंड-हैंडलिंग

क. अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 3 के होते हुए भी, अभिहित एयरलाइनों को 15 जनवरी, 2007 तक दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में अपना स्वयं का ग्राउंड-हैंडलिंग ("स्व-हैंडलिंग") करने का अधिकार नहीं होगा। इससे ऐसी अभिहित एयरलाइनें, जो वर्तमान में पूर्णतः या अंशतः स्व-हैंडलिंग करती हैं, ऐसा करना जारी रखने से अवरुद्ध नहीं होंगी।

ख. यह खंड 15 जनवरी, 2007 को, अथवा जब भारत यह पुष्टि कर दे कि अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 3 के अनुसार स्व-हैंडलिंग की जा सकती है, इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा।

<u>खंड 2</u>

यात्री चार्टर सेवा

क. अनुबंध 2 के खंड 2 के पैराग्राफ क के होते हुए भी, कोई भी पक्षकार दिनांक 15 जनवरी, 2010 तक दूसरे पक्षकार की ऐसी एयरलाइन से, जिसका अभिहितीकरण यात्री चार्टर वायु सेवा अधिकारों के प्रयोग की अनुमति देता है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उन अधिकारों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय चार्टर यातायात के वहन हेतु उस प्रथम पक्षकार के नियमों एवं विनियमों के अनुसार करे।

ख. यह खंड दिनांक 15 जनवरी, 2010 को समाप्त हो जाएगा।